(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इससे किसानों के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि बिहार से चीनी मिलें हटाकर देश के दक्षिण भाग में लगाई जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । परन्तु इस प्रकार के कथित भय की कोई आशंका नहीं हो सकती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

World Food Programme

***1159. Shrimati Renuka Barkataki:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Committee of the World Food Programme has approved a 1½ million food programme for India; and

(b) if so, the main projects under the programme?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) **Yes.**

(b) A statement is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT- 4337/65].

Separate Ministry for Tourism

***1160. Shri Ram Harkh Yadav:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been approached to create a separate independent Ministry for the promotion of Tourism in India; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) Yes Sir. A proposal was made in 1963 to the *Ad Hoc* Committee on Tourism that a separate Ministry for Tourism may be set up.

(b) This proposal was considered by the *Ad Hoc* Committee on Tourism but was not included in their recommendations to Government as it was not considered feasible.

Advocates Act

***1161. Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether the Advocates Act of India is being extended to Jammu and Kashmir State on the recommendation of the Government of that State; and

(b) if so, from what date?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen): (a) and (b). The State Government of Jammu and Kashmir have recommended the extension of the Advocates Act to Jammu and Kashmir State and the matter is under examination.

सामुदायिक विकास खण्डों में जीपों का प्रयोग

1162. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री सिंहासन सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रयोग की जा रही जीपों तथा अन्य सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिये किन्हीं उपायों पर

विचार किया है और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ख) इस समय उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा कुल कितनी जीपें तथा अन्य वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनमें कितनी लागत लगी है, उनके रखरखाव का वार्षिक व्यय क्या है और कितने वर्षों में ये वाहन बेकार हो जाते हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्त्ति) : (क) खण्डों की जीपों का कोई भी दुरुपयोग—निजी कार्यों के लिये उनका प्रयोग करके अथवा गांवों के अनुपादक क्षणिक दौरों के लिये उनका उपयोग करके अथवा आम चुनावों में राजनीतिक कार्यों के लिए उनका दुरुपयोग करके-रोकने के लिये राज्य सरकारों को निम्न उपाय सुझाये गए हैं :—

(1) खण्ड की जीपों को उपमण्डलीय स्तरों पर पूल करना और एक सोपानवार कार्यक्रम के अनुसार उनका समवितरण करना ।

(2) 'लाग बुक्स' रखने के बारे में कड़े अनुदेश जारी करना ।

(3) जिन कार्यों के लिए जीपें इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनका विशेष उल्लेख करना ।

(4) पेट्रोल के मासिक खर्च की सीमा निर्धारित करना ।

(5) अधिकारियों के विभिन्न वर्गों के लिए रात्रि विश्राम का निर्धारण करना ।

(6) इस बात का उपबन्ध करना कि जीप का उपयोग केवल अधिकारियों का एक ग्रुप कर सकता है न कि कोई अकेला अधिकारी ।

(7) इस बात का विशिष्ट उल्लेख करना कि खण्ड मुख्यालय से कितनी दूरी के भीतर जीप का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

(8) दौरों का कुछ अनुपात साइकिलों द्वारा तय करने के लिए निश्चित करना ।

(9) जीप के उपयोग पर प्रतिबन्ध :

(क) खण्ड मुख्यालय के नगर में ;

(ख) परिवहन के दूसरे साधनों से जुड़े स्थानों में पहंचने के लिए, ;

(ग) एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जहां पैदल जा सकते हों ।

(10) आम चुनावों के समय पर नामजदगी की तारीख से मतदान की तारीख तक जीपों को खण्ड से हटाना । इस अवधि में जीपें जिला समाहर्त्ता के नियंत्रण में रहेंगी । वह उनका उपयोग केवल चुनाव कार्य के लिए करेगा ।

(ख) राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Publication of Central and State Acts

*1163. **Shri Yashpal Singh:**
Shri D. N. Tiwary:
Shri Hem Raj:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether a conference of Law Secretaries of the various States was held to consider the question of publication of Central Acts in regional languages and State Acts in Hindi;

(b) if so, the decision taken thereat; and

(c) the action being taken to implement them?